भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 442

04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

"भारी उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार का दृष्टिकोण"

442. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव**:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले पांच वर्षों में भारी उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार का दृष्टिकोण क्या है और इसके विकास की मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं;

(ख) भारी उद्योग क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उनकी संबंधित शक्तियों का लाभ उठाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) भारी इंजीनियरिंग वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू विनिर्माताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने और उन्हें अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) अन्य देशों से सस्ते आयातों के पाटन के मुद्दे का समाधान करने और भारी उद्योग क्षेत्र में निष्पक्ष व्यापार संबंधी कार्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) का दृष्टिकोण ऑटोमोटिव और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, हरित और प्रौद्योगिकी संचालित भारी उद्योग विनिर्माण क्षेत्र है, जो विकास और रोजगार सृजन को प्रेरित करता है, जिसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत सामान क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने और भारत को पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बनाने के लिए एक मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत सामान क्षेत्र बनाना है।

(ख) एमएचआई अपने सीपीएसई को अन्य सीपीएसई/निजी क्षेत्र के साथ सह-संघ/संयुक्त उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि नए क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों में विविधता लाई जा सके और अपनी संबंधित ताकत का लाभ उठाया जा सके, जैसे:

(1) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड - टीटागढ़ सह-संघ 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण और आपूर्ति करेगा

(2) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड -कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्यम

(ग) और (घ) घरेलू विनिर्माताओं के लिए समान अवसर सृजित करने के लिए एमएचआई द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं :

1. 7 मई 2015 की अधिसूचना के अनुसार 2500 केवीए, 33 केवी तक के आउटडोर प्रकार के ऑइल इम्मर्सेड डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मरों के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), 2015 ।
2. विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 दिनांक 11 नवंबर 2020 की अधिसूचना के माध्यम से कम वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर के लिए, और बाद में 9 मई 2023 और 3 मई 2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया।
3. घरेलू निर्माताओं को खरीद वरीयता प्रदान करने के लिए**,** औद्योगिक बॉयलरों (भाप जनरेटर) पर सार्वजनिक खरीद आदेश (मेक इन इंडिया को वरीयता) 29 सितंबर 2020 को जारी किया गया था।
4. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत मशीनरी और इलेक्ट्रिक उपकरणों के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाला ओमनीबस टेक्निकल रेग्युलेशन (ओटीआर) दिनांक 28 अगस्त, 2024।